

कार्यालय जिला पंचायत-जशपुर (छ.ग.)

-: आदेश :-

क्रमांक/3139 /जि.पं./स्था./प्र.मं.आ.यो./2017-18


जशपुर, दिनांक 13/11/2017

विकास आयुक्त कार्यालय प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रकोष्ठ का पत्र क्रमांक/253/वि-6/प्रमंआयो/2017 दिनांक 04/05/2017 के नियमानुसार कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक/2327/प्रमंआयो(ग्रा)/विज्ञा./जि.पं./2017, जशपुर, दिनांक 01/09/2017 के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजनान्तर्गत चयन समिति द्वारा जिला पंचायत में विकासखण्ड समन्वयक (संविदा) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 28/02/2018 तक के लिए छ.ग. शासन द्वारा समय-समय पर जारी एकमुश्त संविदा वेतन प्रतिमाह पर निम्न चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति प्रदान करते हुए नीचे वर्णित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है:-


क्र.	नियुक्त उम्मीदवार का नाम	पिता/पति का नाम	पत्र व्यवहार का पता
1	2	3	4
1	कुंज बिहारी पैकरा	रामधनी पैकरा	आदित्य हार्डवेयर धरमपुरा-2 जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.) पिन न.494001
2	दीपक अलोशियस कुजूर	थेयोदोर कुजूर	ग्राम+पोस्ट चेटबा तह.कांसाबेल थाना कांसाबेल जिला जशपुर (छ.ग.) पिन 496223
3	पूजा निकुन्ज	जागेश्वर निकुन्ज	ग्राम रेवाडीह वार्ड क 21 पोस्ट पेन्डरी राजनान्द गांव पिन न. 491441
4	ब्रिजेश पाल सिंह	धरमपाल सिंह	ईशा नगर (नयापारा)ठिमरापुर जिला रायगढ़ (छ.ग.)

शर्त :-

1. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अधीन शासित होंगे।
2. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
3. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा अन्य किसी भी विशेष कारणों से बिना किसी पूर्व सूचना के नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. नियुक्ति अवधि में किसी अन्य फर्म/संस्था में कार्य/नियोजन की दशा में नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के अधीन होगी तथा प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।
7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को दिनांक 23/11/2017 सायं 5:00 बजे तक इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जावेगी।



8. कार्य ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की एक-एक सत्यापित प्रति भी जमा करना होगा।
9. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा, ताकि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके।
10. जिला मेडिकल बोर्ड से स्वयं का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र में प्रतिकूल टीप होने पर नियुक्ति निरस्त की जायेगी।
11. उक्त नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पूर्णतः पालन किया गया है।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत-जशपुर (छ.ग.)

पृ. क्र./ 3139/18 जि.पं./स्था./प्र.मं.आ.यो./2017-18

जशपुर, दिनांक 13/10/2017

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला-जशपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
4. संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला-जशपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-जशपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत - जशपुर/मनोरा/दुलदुला/कांसाबेल/कुनकुरी/पत्थलगांव/फरसाबहार/बगीचा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. संबंधित श्रीसूचनार्थ एवं पालनार्थ।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत-जशपुर (छ.ग.)